

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

न - गीदाराम बनाम तहसीलदार सीकर  
 मुकदमा - प्रा0-पत्र 136 एल.आर.एक्ट 1956 मुकदमा नं विविध 3/व  
 आज्ञा पत्र

2024 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शिवदयाल यादव हाजिर। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु तहसीलदार सीकर को तहरीर जारी होकर पत्रावली आ.ता.पेशी दिनांक 30.01.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

32/24 पत्रावली पेश हुई। दलील/ उमययक हाजिर। तहसील अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व अवकाशानुसार दिनांक 29/2/24 को पेश हो।

33/24 पत्रावली पेश हुई। आज अधिवक्तागण में कार्य प्रारंभ कर रहा है। पत्रावली पूर्व अवकाशानुसार दिनांक 21/5/24 को पेश हो।

35/24 प्रार्थी द्वारा जदिये अधिवक्ता मिसलत तल्पकी का आवेदन पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। अधिवक्ता प्रार्थी हाजिर। बहस अधिवक्ता प्रार्थी (कुनी गढ़) आदि. द्वारा आवेदन के अर्थों से दौदरारि इए भूमि ख.न. 602, 661, 782 वाले ग्राम कालाखेत परवार हल्का पलासरा तहसील बाजिला सीकर की भूमि में खारेदा गिरधारी लाल पुत्र जगनाथ के स्थान पर गीदाराम पुत्र जगनाथ दर्ज राजस्व रिकार्ड क्रिये जाने हेतु निवेदन किया। अधि. का कथन है कि प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम गीदाराम पुत्र जगनाथ ही है। प्रकरण में रिपोर्ट तहसीलदार को दी गई व रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.02.2024 प्राप्त। रिपोर्ट के अनुसार भूमि खाली संख्या 10 में खारेदा का नाम गिरधारी लाल पुत्र जगनाथ दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम गीदाराम पुत्र जगनाथ ही है। अतः

गिरधारी लाल पुत्र जगनाथ ब्रह्म पुत्र जगनाथ  
रज राजस्व रिकॉर्ड करने की खोज में भू-राजस्व  
आधिनियम की धारा 136 के प्रावधानों के अन्तर्गत  
पर प्रदान की जाती है। वहीलदादा शीकर इसी  
अनुसूची के राजस्व रिकॉर्ड किये जाने के निर्देश  
दिये जाते हैं। पत्रावली जैसल भ्रमण होकर नम्वर से  
रुम है। पत्रावली साखिल्य दफ्तर है। निर्गम आज  
मेरे हस्ताक्षर से जनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर